महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.5(2)मुख्यालय / /2026 / दिनांकःई–हस्ताक्षर दिनांक

आदेश

सद्दाम हुसैन, कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के विरूद्ध कारागृह में निरूद्ध बन्दियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग कर कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से सम्पर्क रखने के आरोप है, जिसके सम्बन्ध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

उक्त कार्मिक जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे इसलिए निलम्बन के दौरान कार्मिक का निलम्बनकालीन मुख्यावास केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर किया जाता है। इन्हें निलम्बन के दौरान स्वयं के वेतन का 1/2 भाग व इस पर देय अनुज्ञेय भत्ते नियमानुसार निर्वाह भत्ते के रूप में देय होंगे।

(अशोक राठौड़)
महानिदेशक, कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–
1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, उदयपुर/जोधपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद भिजवाएं।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर।
4. प्रभारी, विभागीय जांच शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित कार्मिक मार्फत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
6. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक, कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

Office address- Directorate General, Prisons, Ghatgate, Jaipur-302003
dgprisons-rj@nic.in

RajKaj Ref No.:
23908931

Digitally signed by ASHOK RATHORE
Designation: Director General
Date: 2026-08-08 12:46:14 IST

v-1.0